न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक 24.08.2020

... संख्या 50/20
...एमएस नं. 2020/00126

उनवान

...राम 2 कैलाश पुत्रान रामहंस जातियान मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज. ।

---वादीगण

बनाम

1 कृपाली पुत्र रामहंस जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

---असल प्रतिवादी

2 नैमीचन्द पुत्र रामहंस जाति मीना नि. उहलू तह. भुसावर 3 ऊगन्ती पुत्री रामहंस पत्नि किशोर जाति मीना नि. सौदूकी तह. महवा 4 अनिल पुत्र तेजराम 5 अन्ता पुत्री तेजराम जातियान मीना नि. सैराकर तह. टोडाभीम जिला करौली 6 खैमचन्द पुत्र धर्मपाल जाति मीना नि. उहलू तह. भुसावर 7 राज. सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर राज.।

दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

		---वादीगण
1	श्री पप्पूराम	
2	श्री चन्द्रशेखर तिवारी	---प्रति. सं. 1
3	श्री पवन पाण्डेय	---प्रति.सं. 2

निर्णय दिनांक 13/05/2026

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 345 रकवा 0.1000 हेक्टर वाके ग्राम उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से के, व असल प्रतिवादी संख्या एक 1/12 हिस्से का, व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से के तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वाहिस्सा बराबर 1/12 हिस्से के तथा शेष 1/2 हिस्से का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 खैमचन्द खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

वर्णित आराजी वादीगण व असल प्रतिवादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक आराजी है, जो वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण तथा असल प्रतिवादी को अपने पूर्वज मृतक रामहंस से बाई बर्थ विरासत मे प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण व असल प्रतिवादी तथा तरतीवी प्रतिवादीगण अपने पूर्वज मृतक रामहंस के जीवन काल से ही काविज रहकर अपने अपने हिस्से की आराजी पर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन असल प्रतिवादी संख्या एक बहुत ही चतुर एव चालाक किस्म का बेईमान व्यक्ति है, जो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को पैत्रिक आराजी जो एन. एच. 21 के सहारे स्थित है, की कीमती भूमि से महरूम करने के इरादे से लटठ व ताकत के बल पर जवरन कब्जा कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। और वादीगण के हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग मे भी व्यवधान पैदा करता रहता है। एवं राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुए आराजी का नामान्तरकरण भी अपने नाम न्यारानूर दर्ज कराना चाहता है। जबकि असल प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी मे न्यारानूर कोई भी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनाक 22.08.2020 को वादीगण ने असल प्रतिवादी संख्या एक से वादग्रस्त आराजी मे मृतक रामहस के द्वारा छोडी गई आराजी का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कराने के लिए व निर्माण कार्य नही करने के लिए कहा, तो असल प्रतिवादी संख्या एक ने खुले आम धमकी दी कि मै तो इस आराजी पर

कब्जा करके अपना पुख्ता निर्माण पूरा करूंगा, और तुम्हे एक इंच जमीन भी नही दूँगा, और तुमको ...से बेदखल कर महरूम करते हुए तुमको आराजी जोतने बोने नही दूँगा। और ज्यादा कुछ किया, आराजी को दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल कर दूँगा। अतः वादीगण वादग्रस्त आराजी मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा करा पाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम ...लू तह. भुसावर में मृतक रामहंस के द्वारा छोडी गई आराजी में वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा ...व असल प्रतिवादी संख्या एक 1/12 हिस्से का एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाहिस्सा बराबर ...6 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वाहिस्सा बराबर 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री पवन पाण्डेय एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया। कई अवसर के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 प्रभूराम द्वारा पेश किया तथा उनके बयान लेखबद्ध कराये गये। कई अवसर के बावजूद भी प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2074–74 प्रदर्श–1, नकल आधार कार्ड प्रभूराम प्रदर्श–2 प्रस्तुत किये गये।

हमने बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एव इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम उहलू तह. भुसावर में मृतक रामहंस के द्वारा छोडी गई आराजी में वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा के व असल प्रतिवादी संख्या एक 1/12 हिस्से का एव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वाहिस्सा बराबर 1/12 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)
भुसावर (भरत.) राज०

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

दायर दिनांकः 24.08.2020

[प्रक]रण संख्याः 50/20
[सी]सीएमएस न. 2020/00126

उनवान

1 प्रभुराम 2 कैलाश पुत्रान रामहंस जातियान मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 कृपाली पुत्र रामहंस जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——असल प्रतिवादी

2 नैमीचन्द पुत्र रामहंस जाति मीना नि. उहलू तह. भुसावर 3 ऊगन्ती पुत्री रामहंस पत्नि किशोर जाति मीना नि. सौंदूकी तह. महवा 4 अनिल पुत्र तेजराम 5 अन्ता पुत्री तेजराम जातियान मीना नि. सैराकर तह. टोडाभीम जिला करौली 6 खैमचन्द पुत्र धर्मपाल जाति मीना नि. उहलू तह. भुसावर 7 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री पप्पूराम ——वादीगण
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——प्रति. सं. 1
3 श्री पवन पाण्डेय ——प्रति.सं. 2

डिक्री दिनांक 13/05/2026

तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 345 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम उहलू तह. भुसावर में मृतक रामहंस के द्वारा छोडी गई आराजी में वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा के व असल प्रतिवादी संख्या एक 1/12 हिस्से का एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वाहिस्सा बराबर 1/12 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)